न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—70/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/70)

1. श्री लाडूसिंह पुत्र कल्लासिंह (मृतक जरिए वारिसान)
   1/1 जयसिंह पुत्र लाडूसिंह आयु 54 वर्ष
   1/2 अन्नारिंह पुत्र लाडूसिंह आयु 47 वर्ष
   1/3 नानी पुत्री लाडूसिंह आयु 60 वर्ष
   1/4 छोटी पुत्री लाडूसिंह आयु 58 वर्ष
   1/5 तीजा पुत्री लाडूसिंह आयु 56 वर्ष
   1/6 धापू पुत्री लाडूसिंह आयु 50 वर्ष
   1/7 जन्ना पुत्री लाडूसिंह आयु 40 वर्ष
   1/8 लाला पुत्र शारदा पुत्री लाडूसिंह आयु 25 वर्ष समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री हरि पुत्र सुजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मातामंगरी हाल निवासी ग्राम देवपुरी जाटों का मौहल्ला तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2008 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 85/2007

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पारीक, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—30.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 85/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अपीलांटस के पिता लाडूसिंह वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी 88 राजस्थान काश्तकारी 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। वाद—पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राजकीय पैरोकार ने जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि धन्नी बेवा सुजा का पक्षकार नहीं बनाया है ना ही विक्रेता के परिवार का सजरा प्रस्तुत किया है, चरण संख्या 06 व 07 इकरारमें पर आधारित है इस कारण वादी को सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। वादगत आराजी का विक्रय उपखण्डन की श्रेणी में आता है तथा रजिस्टर्ड बेचाना नहीं होने से वाद खारिज किया जावे।जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दावा प्राप्त होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रसतुत नहीं किए गए तथा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम राजगढ के साविक खसरा नम्बर 5696 के वर्किंग खसरा नम्बर 6628 के हाल खसरा नम्बर 2895 का खातेदार घोषित किया गया तथा रहन निरस्त कर वादी के नाम रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित कर शेष आराजी पर वादी का वाद विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीरावाद के निर्णय व डिक्री दिनाक 31.05.2008 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर एवं प्रकरण में रेस्पोडेन्टस की प्रोपर तामील करवायी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं है। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि दावाकृत भूमि वादी की क्रयशुदा भूमि है जो वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार से क्रय की गई थी तथा खरीद दिनांक से काविज काश्त चला आ रहा है। आज भी मौके पर वादी का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है तथा दावाकृत भूमि के निर्णय डिक्री दिनांक 31.5.2008 की जानकारी वादी के वारिसान अपीलार्थीगण को दिनांक 4.2.2021 को हुई जब प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वादी के वारिस अपीलाथीगण को बेचान करने की धमकी दी गई तत्पश्चात अपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता से केस की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 5.2.2021 को राजस्व न्यायालय नसीरावाद में नकल का आवेदन कर लकल दिनाक 8.2.2021 को प्राप्त कर कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर शेष आराजी पर वाद खारिज करने का अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरित तथा न्याय नियम सिद्धांत के विपरित पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर तनकी संख्या 1 का निर्णय पारित कर दिया कि विक्रय पत्र की समस्त खसरा नम्बर का राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं होने के कारण वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है तथा तनकी संख्या 2 का निर्णय मात्र इस आधार पर कर दिया गया कि आराजीयात पर प्रतिकूल कब्जा सिद्ध नहीं होता है। जबकि वादी द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि का समस्त राजस्व रेकार्ड में रजिस्ट्री पेश की गई जिससे अपीलाधीन आदेश/डिक्री अपास्थ किए जाने योग्य है।दावाकृत भूमि वादी की क्रयशुदा भूमि है जो वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार से क्रय की गई थी तथा खरीद दिनांक से काविज काश्त चला आ रहा है। ग्राम माता मंगरी (मजरा) ग्राम राजगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 5690 रकबा 0–15–00, खसरा नम्बर 5746 रकबा 2–9–10, खसरा नम्बर 5678 मिन रकबा 1–0–0, खसरा नम्बर 5696 रकबा 2–18–0, खसरा नम्बर 5683 मिन रकबा 0–13–00 कुल किता 5 कुल रकबा 7–15–10 बीघा वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.12.1971 को सूरजमल व गोपी पुत्र गंगाराम गुर्जर से क्रय

का कब्जा प्राप्त कर लिया विक्रेतागण की मृत्यु हो चुकी है जिनके एक मात्र विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 01 है। उक्त आराजी पर वादी विधिवत खातेदार काश्तकार है। वादी ने ग्राम माता मंगरी राजगढ़ में ही गोपी पुत्र गंगाराम से खसरा नम्बर 5520 रकबा 1–10–00 बीघा कीआराजी जरिये पंजीवद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.01.1972 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। विक्रेता गोपी नाऔलाद फौत हो गया है तथा उसके भाई सूरजमल का पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन विधिक वारिस है। ग्राम माता मंगरी (मजरा) वादी ने दिनांक 11.04.1972 को एक आराजी गोपी पुत्र गंगाराम से क्रय की जिसमें आराजी खसरा नम्बर 6546 रकबा1–8–10 (2–10–10 को 1/2 चाह–3 हिस्सा 1–5–0)का 6541 रकबा 1–3–10 (1–2–10 का 1/2 चाह–3 हिस्सा0–11–00) का 6536 रकबा 8–10–0पूर्ण, 6417 रकबा 3–0–00 का 1/2 हिस्सा है। खसरा नम्बर 6544 रकबा 4–10–00 चाह का 1/8 हिस्सा वादी द्वारा दिनांक 24.04.1972 को जरियं पंजीवद्ध विक्रय पत्र क्रय किया है। उक्त समस्त आराजीयात वर्तमान सूरजमल व गोपी के विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 01 हरि के नाम है। हरि के बडे भाई रंगालाल की भी दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। जिसका कोई परिवान नही है। वादग्रस्त आरजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गयी है। दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम राजगढ़ के साविक खसरा नम्बर 5696 के वर्किंग खसरा नम्बर 6628 के हाल खसरा नम्बर 2895 का खातेदार घोषित किया गया तथा रहन निरस्त कर वादी के नाम रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित कर शेष आराजी पर वादी का वाद विधि के प्रावधानो के विपरीत जाकर खारिज किया है, जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर आज भी मौके पर वादी का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है तथा दावाकृत भूमि के निर्णय डिक्री दिनांक 31.5.2008 की जानकारी वादी के वारिसान अपीलार्थीगण को दिनांक 4.2.2021 को हुई जब प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वादी के वारिस अपीलाथीगण को बेचान करने की धमकी दी गई तत्पश्चात अपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता से केस की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 5.2.2021 को राजस्व न्यायालय नसीराबाद में नकल का आवेदन कर नकल दिनाक 8.2.2021 को प्राप्त कर कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद द्वारा दिनांक 31.05.2008 को आंशिक निर्णय/डिक्री के विरूद्ध पारित की गयी को निरस्त किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील जवाब /बहस में कथन किया कि राजस्थान सरकार भूमि धारक होने से दावे व अपील में पक्षकार है अपीलांट ने सरकार के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है। माननीय न्यायालय पत्रावली का अवलोकन कर न्यायोचित आदेश पारित करे।

7. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं। धारा 5 के खिलाफ अप्रार्थीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पूर्वज द्वारा खरीदशुदा आराजीयात है उक्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज कराने हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का दावा पेश किया गया था जिसके साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रतियां साबिक व हाल जमावंदीया व मिलान क्षेत्रफल पेश किए हुए है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलांट का दावा खारिज कर दिया समस्त खसरा नम्बरों का मिलान व जमाबंदीया पेश नहीं करी जबकि वादग्रस्त आराजीयात जमावंदीया मिलान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों में मौजूद है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी का वाद प्रतिकूल कब्जा सिद्ध नहीं होने के आधार पर खारिज किया जबकि वादी का वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नहीं होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का दावा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी के वाद को प्रतिकूल कब्जे का मान कर व मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं करने कों आधार बनाकर अपीलांट वादी के वाद को खारिज करने में विधि त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीरावाद का निर्णय दिनांक 31.05.2008 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट/वादी एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः दावे का निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 85/2007 में दिनांक 31.05.2008 को पारित निर्णय/डिक्री को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांट/वादी के वाद को पुनः दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए वादी द्वारा किए गए क्लेम को ध्यान में रखते हुए व प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए जवाबदावे के आधार पर पुनः तनकियात कायम कर तनकियात पर उभयपक्ष के साक्ष्य लेकर पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, तनकी वाईज विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करें।। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर